



समाहर्ता-सह- अंचल अधिकारी का न्यायालय,मानगो।

बी०पी०एल०ई०वाद संख्या-26 / 2023-24

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
27.6.23	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह वाद संबंधित क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने राजस्व कागजातों एवं स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया है कि अतिक्रमणकारी ने अवैध रूप से अनावार बिहार सरकार ( झारखण्ड सरकार) की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमणकारी को BPLE ACT की धारा 3(2) के तहत नोटिस निर्गत करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। परन्तु अतिक्रमणकारी निर्धारित तिथियों को उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किया गया।</p> <p>इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अतिक्रमणकारी के पास ऐसा कोई साक्ष्य या कागजात नहीं है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो सके कि मौजा-अ०क्ष०मानगो वार्ड नं०-10, खाता नं०-727, प्लॉट नं०-1543, रकबा-1.65 डिंसमिल लगभग भूमि पर अतिक्रमणकारी का किसी प्रकार का कोई स्वामित्व बनता है। स्पष्टतः अतिक्रमणकारी के द्वारा अवैध रूप से अनावार बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है।</p> <p>यह भूमि अनावार बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) की भूमि है तथा बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत बी०पी०एल०ई० एक्ट की धारा-2 में परिभाषित लोक भूमि के अन्तर्गत है।</p> <p>अतः सरकारी भूमि के रक्षार्थ वर्णित भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(2)) के अन्तर्गत अतिक्रमणकारी दिलीप महतो, पिता-अज्ञात, सा०-शंकोसाई रोड नं०-5, थाना-उलीडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम को उच्छेदन आदेश देता हूँ। अतिक्रमणकारी को बी०पी०एल०ई० एक्ट के तहत नोटिस निर्गत करें कि उक्त वर्णित भूमि पर से अपना अतिक्रमण पन्द्रह दिनों के अन्दर हटा लें। अन्यथा बल पूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा एवं उस पर की गई खर्च अतिक्रमणकारी से वसूली जाएगी। विहित प्रपत्र में सूचना निर्गत करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित    समाहर्ता  बी०पी०एल०ई०एक्ट के  अन्तर्गत सह  अंचल अधिकारी  मानगो।</p> <p>   समाहर्ता  बी०पी०एल०ई०एक्ट के  अन्तर्गत सह  अंचल अधिकारी  मानगो।</p>	

OFFICE OF THE COLLECTOR (Under B.P.L.E Act)-Cum-CIRCLE OFFICER, MANGO

FORM-II

BPLE CASE NO -26 /2023-24

FORM OF NOTICE UNDER SECTION 2 OF SECTION 6 OF THE BIHAR PUBLIC LAND ENCROACHMENT ACT 1956

Shri/Shrimati दिलीप महतो Son/Wife/Daughter of अज्ञात resident of village- शंकोसाई रोड  
नं0-05 P.S- उलिडीह District -पूर्वी सिंहभूम .

597  
28.6.23

Whereas an order has been passed under clause(c) of sub-section (2) of section 6 of the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 for removal of encroachment from upon khata No- 727, Plot no-1543, Area- 1.65 Desimal Approx, of Mauja-Mango Ward no 10, P.S-Ulidihi, District East Singhbhum, Which has been found to be a public land as defined in section 2 of the Act.

You are hereby called upon to comply with the order within a period of 15 days.

2. Take notice that in case of disobedience you shall be liable to the penalty provided in section 188 of the Indian penal Code, 1860 (XLV of 1860)

Date-27.6.23



Collector

(under the Act)

-Cum-Circle Officer

इस फलान्क गन्ध/लेकिन लेने है  
मन्गो बिच गन्ध।  
अतः निपट कर लेनी है।

बिच गन्ध।

कुर्गा-रंगरक्षक  
अनुमति

Signature